संख्या– पू0आ0 437/29–10–93

पी0 एल0 पुनिया,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

अध्यक्ष
राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण
उ0 प्र0 लखनऊ ।

अध्यक्ष,
समस्त जिला उपभोक्ता फोरम
उ0 प्र0 ।

खाद्य तथा रसद अनुभाग–8 लखनऊ: दिनांक: 16 सितम्बर, 1993

विषय:–जिला उपभोक्ता फोरम/ राज्य आयोग में वाद/अपील दायर करते समय टिकटयुक्त पता सहित लिफाफों का उपलब्ध कराया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपभोक्ता कार्यक्रम के प्रति जन–जन में निरन्तर जागरूकता उत्पन्न हो रही है फलस्वरूप राज्य आयोग/ जिला उपभोक्ता फोरमों में वादों की संख्या में वृद्धि होना स्वाभाविक है । इन वादों में नोटिस आदि जारी करने में विलम्ब के अतिरिक्त डाक टिकटों के अभाव की शिकायतें प्राप्त होती रहती है । यह कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है तथा इस कार्यक्रम को द्रुततर गति से कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकार कटिबद्ध है ।

2– वर्णित स्थिति में मामले में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 1 अक्टूबर, 1992 से राज्य आयोग/ जिला उपभोक्ता फोरम में जो वाद/ अपीलें प्राप्त हो उनके साथ ही रजिस्टर्ड डाक से भेजने हेतु वादी के द्वारा नाम व पता लिखे, वांछित टिकट लगे हुये, लिफाफे भी वाद–कारियों से प्राप्त कर लिया जाया करें । इससे सरकार पर कम व्ययभार पड़ेगा। और वादी को यह लाभ होगा कि सम्बन्धित पक्षों को नोटिस भेजने में कोई विलम्ब न होगा फलस्वरूप वाद के शीघ्र निस्तारण में सहायता मिलेगी ।

3– अत: मुझे अनुरोध करना है कि 1 अक्टूबर, 1993 से जो वाद/अपील दायर हों, उनके साथ ही सम्बन्धित पक्ष को रजिस्टर्ड डाक से भेजने हेतु पता लिखे हुये एवं वांछित टिकट लगे हुये लिफाफे अवश्य प्राप्त कर दूसरे पक्ष को नोटिस भेजने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

भवदीय,
पी0 एल0
पी0 एल0 पुनिया ।
सचिव ।

संख्या–पू0आ0 437(1)/29–10–93

1– महानिदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित ।

2– प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारी/ जिलापूर्ति अधिकारीपदेन सहायक निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण उत्तर प्रदेश को तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु प्रेषित ।

3– समस्त अपर जिला अधिकारी, आपूर्ति को सूचनार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से,
देव नारायण
देव नारायण
अनु सचिव ।